



कार्यालय अधिष्ठाता  
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई-मेल : deanshivpuri@gmail.com

वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com>

क्रमांक. 5403

/स्था.राज/2021

शिवपुरी, दिनांक - 01/05/2021

// संस्थानिक विज्ञप्ति सूचना //  
(संशोधित)

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 एवं शासन से प्राप्त अनुसूची द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के अधीन संस्था स्तर पर पदोन्नती द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय	प्राध्यापक					सह-प्राध्यापक				
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS
1	माइक्रोबायोलॉजी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	कम्युनिटी मेडिसिन	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

नोट : पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

- उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी मध्यप्रदेश की वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com> पर एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
- उक्त पदों हेतु दिनांक 03.05.2021 को समय - प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे आवेदकों के दस्तावेजों की छानबीन कर साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) आयोजित किये जावेंगे। रिक्त पदों की संख्या में कमी/वृद्धि या विज्ञप्ति निरस्त भी की जा सकती है। आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी

1. यह विज्ञप्ति संस्था स्तर पर है।

2. वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार) —	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक —	1,44,200 — 2,18,200 + डी0ए0
सह प्राध्यापक —	1,21,400 — 2,17,100 + डी0ए0

टीप —समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

3. आयु सीमा —	न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक —	35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक —	30 वर्ष	62 वर्ष

टीप —आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2021 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- उपरोक्त चिह्नित पदों में SC= अनुसूचित जाति ST= अनुसूचित जनजाति OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग EWS= आर्थिक रूप से कमजोर F= महिला पद हेतु आरक्षित है।
- जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

5. अहर्तायें :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अहर्ता।
- प्राध्यापक — संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता एमडी/एम. एस./डीएनबी (i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिये 3 अनुसंधान प्रकाशनों (कम से कम दो एसोसियेट प्रोफेसर के रूप में) (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्वारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जायेगा) के साथ, उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। लेखन को पहले तीन में से एक होना चाहिये या तदनुरूपी लेखन होना चाहिए। (ii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिये। (iii) बॉयोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिये।  
इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की परागमन अवधि के लिये अधिसूचना की दिनांक से प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति 'चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं विनियमावली, 1998' अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा की इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
- सह प्राध्यापक — संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यताएं एमडी/एमएस/डीएनबी (i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कॉलेज/संस्थान में 4 वर्ष के लिये 1 अनुसंधान प्रकाशन (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्वारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जायेगा) के साथ, उस विषय में सहायक प्राध्यापक। लेखन को पहले तीन में से एक होना चाहिए। (ii) प्रकाशन लेखनकारिता के बदले में अनुसंधान परियोजना को केवल तभी माना जा सकता है जब व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) या ऐसे किसी निकाय द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान परियोजना का प्रधान सह-प्रधान अन्वेषक (P1/VoP1) हो। (iii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए।  
इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की परागमन अवधि के लिये, अधिसूचना की दिनांक से, सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति 'चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यतायें विनियमावली 1998' अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।



## 6. निरहर्तायें-

- 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 5.2 दुश्चरित्र होने पर।
- 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- 5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिये व्यक्ति स्वयं जवाबदेह रहेगा।
- 5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिये अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुये नियुक्ति प्राप्त करता है तो संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं नियुक्ति स्वयं निरस्त कर दी जावेगी।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।
7. म.प्र. के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जावेगी।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष तक निरंतर, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
11. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाइट <https://shivpurimedicalcollege.com> पर उपलब्ध है।
14. आवेदन शुल्क – अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु – राशि रू. 2000/- एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु – राशि रू. 1000/-

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अहर्तायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अहर्ता की जांच स्वयं करें और अहर्ता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी

## आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि ...../...../2021)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष/महिला.....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) .....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक / /2021 को आवेदक की आयु .....दिन ..... माह ..... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
10. विवाह का दिनांक- .....
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....  
अ. (एम.बी.बी.एस.)-  
ब. एमडी/एमएस-  
स. एमसीएच/डीएम-



13. शैक्षणिक योग्यताएं:-(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

15. रिसर्च पब्लिकेशन :-

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।  
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर